राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.17(ई)ग्राविवि/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.दिवस/2014/1011 जयपुर, दिनांकः 25.03.15

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – समस्त।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति – समस्त।

विषयः पंचायत दिवस कार्यक्रम का द्वितीय चरण आरम्भ करने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 986 दिनांक 23.03.2015 द्वारा पंचायत दिवस कार्यक्रम के द्वितीय चरण प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है एवं आपने तद्नुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी होगी। यह कार्यक्रम समस्त नवीन पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में भी नियमित रूप से आयोजित किया जाना है।

उक्त पंचायती राज संस्थाओं में नवीन पद सृजन अभी प्रक्रियाधीन है व पर्याप्त स्टॉफ नहीं लग पाया है। अधिकांश संस्थाओं में पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को ही अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि स्टॉफ एवं संस्थानों की उपलब्धता में कमी के दृष्टिगत **नव सृजित पंचायत समितियों में पूर्व निर्देशानुसार एक दिवस में 2 ग्राम पंचायतों में पंचायत दिवस का कार्यक्रम नहीं रखा जाकर केवल एक ही ग्राम पंचायत में पंचायत दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जावे।** अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमित पदस्थापन के पश्चात् इसमें संशोधन कर लिया जावेगा।

ज्ञात रहे कि पुरानी पंचायत समितियों में विभाग के आदेश क्रमांक 986 दिनांक 23.03.2015 के अनुरूप एक दिवस में 2 ग्राम पंचायतों में ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
2. माननीय सांसदगण (समस्त)/विधायकगण(समस्त)/जिला प्रमुख(समस्त)/प्रधान(समस्त)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।

E:\Pa_dsa2\R.S. MAKKER\LETTER.docx

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/कृषि विभाग/शिक्षा विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ऊर्जा विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद।
8. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, राजस्थान।
9. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
10. जिला कलक्टर (समस्त)।
11. निदेशक, मिड–डे–मील योजना।
12. समस्त् अधिकारीगण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सी.डी./प्रभारी अधिकारी SFC/ TFC/ UTF/ MLA Led/ MP Led/ DANG/ MAGRA/ BADP/ MEWAT/ Watershed (IR).
14. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त

E:\Pa_dsa2\R.S. MAKKER\LETTER.docx